5. Secretary, Deptt. of Posts "
6. Secretary, Deptt. of Telecom "
7. Secretary, Deptt. of Health "
8. Secretary, Deptt. of Sc. & Tech. "
9. Member (Staff), Railway Board "
10. Dy. Comptroller & Auditor General of India "
11. Secretary, Ministry of Home Affairs "

(c) to (e) The Staff Side of the National Council of the Joint Consultative Machinery is consulted before appropriate decision are taken by the Government JCM represents interest of most Non-gazetted employees.

Legislation for unexplained money

2443. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to bring forward a legislation relating to anti-black money law to make to mere possession of unexplained money which cannot be proved by the holder as having been earned via legitimate means, a punishable offence;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be enacted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) Ministry of Finance had appointed a committee to look into all aspects of money laundering, and to suggest a suitable legislation to deal with the problem. The Committee is yet to submit its report to the Ministry.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी

2444. **श्री रामजीलाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या-क्या हैं, जहां गत दो वर्षों के दौरान धोखाधड़ी की घटनाएं घटी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक कितनी धनराशि की वसूली कर ली गई तथा शेष धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा धोखाधड़ी की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) जनवरी, 1995 से सितम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान, सभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को 2178 धोखाधड़ियों की सूचना दी गई हैं जिनमें 280.73 करोड़ रु॰ की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है। धोखाधड़ियों के मामले में अन्तर्ग्रस्त राशियां अनिवार्यतः उन वास्तविक घाटों को नहीं दर्शाती हैं जो अंततः बैंकों को हो सकते हैं। आमतौर पर बैंक अपने द्वारा दिए गए अग्रिमों को कवर करने के लिए कुछ प्रतिभूतियां रखते हैं। बैंक सिविल और आपराधिक मुकदमें भी दायर करते हैं और उपयुक्त राहतें पाने का प्रयास करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आकंड़ा सूचना प्रणाली से धोखाधड़ी के मामले में अन्तर्ग्रस्त राशियों की वसूली से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा-परीक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए हैं। बोर्ड स्तर की प्रबंध समितियां एवं लेखा परीक्षा समितियां स्थापित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह भी कहा है कि वे अपनी बड़ी और अत्यधिक बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा-परीक्षक नियुक्त करें, ताकि निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन न करने का अविलम्ब पता लगाया जा सके और अनियमितताओं और धाखाधड़ियों को रोका जा सके। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सतर्कता तंत्र है, तो निवारक एवं पता लगाने संबंधी उपाय करने के लिए